मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

मंत्रालय, वल्लभ भवन (वी.बी.-1), आधार तल, भोपाल

<u>विज्ञापन</u>

मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा **"वरिष्ठ लेखाधिकारी"** पद पर संविदा नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त शासकीय सेवक से "म.प्र. सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम"तथा "मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल (मण्डल कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम" अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 08 जुलाई 2024 तक आमंत्रित किये जाते है। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा नियम/शर्तें व आवेदन मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल की वेबसाईट https://sambal.mp.gov.inसे प्राप्त की जा सकती है। भरे हुये आवेदन कार्यालय, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 08 जुलाई 2024 को शाम 04:00 बजे है।

सचिव

म.प्र.अ.श.ग्रा.क.क.म. भोपाल

मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल अंतर्गत विज्ञापित पद के मापदण्ड/निर्देश

क्र.	प्रस्तावित पदनाम	पदों की संख्या	अर्हता	आयु-सीमा
1	वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	01	राज्य शासन (कोष एवं लेखा) में लेखाधिकारी के पद पर कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष काअनुभव।	अधिकतम 64 वर्ष (1 मार्च 2024 की स्थिति में)

आवश्यक निर्देशः-

1. मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 (यथा संशोधित) लागू होंगे।
2. संविदा नियुक्ति प्रथमबार में एक वर्ष के लिए की जाएगीजिसे उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए (अधिकतम 65 वर्ष आयु-सीमा के अधीन) बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु संविदा नियुक्ति की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. सभी उम्मीदवारों को स्व-सत्यापित दस्तावेजों की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आवेदन ई-मेल के माध्यम से स्वीकार नही किये जावेगें।
5. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को वर्तमान वेतन से पेंशन घटाकर संविदा नियम 2017 (यथासंशोधित) अनुसार वेतन प्रदाय किया जावेगा।
6. आवेदन पत्र में सत्य एवं तथ्यात्मक जानकारी के लिये आवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
7. आवेदन के साथ विगत 10 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली तथा PPO (Pension payment order) की सत्यापित प्रति संलग्न की जावे।
8. पदों की संख्या में कमी/बढ़ोत्तरी करने का अंतिम अधिकारसचिव,मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल के पास सुरक्षित होगा।
9. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति के पश्चात् दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जासकेगी।
10. प्राप्त आवेदनों में से संविदा नियम 2017 (यथासंशोधित) की शर्तो अनुरूप चयनित आवेदन,संविदा नियम 2017 (यथासंशोधित) के नियम-6 अनुरूप गठित छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, तथा छानबीन समिति की अनुशंसा पश्चात् मंत्री परिषद के आदेश प्राप्त किये जाने के पश्चात् संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी।
11. समान योग्यता रखने पर गोपनीय चरित्रावली के अंको के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी।
12. आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधीक्षकशासकीय अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

आदेशानुसार

वरिष्ठ लेखाधिकारी (संविदा) हेतु

आवेदन-पत्र

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं
ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल
मंत्रालय, वल्लभ भवन (वी.बी.-1), आधार तल
भोपाल (म.प्र.) – 462004

पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करें

1. आवेदित पद का नाम - ....
2. विज्ञापन क्रमांक - ....

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि (DD-MM-YY) शब्दों एवं अंको में	01-03-2024 को आयु (YY-MM-DD)	जातिवर्ग SC/ST/OBC/GEN	सेवानिवृत्ति की तिथि (DD-MM-YY)	मोबाईल नंबर एवं ई-मेल
1	2	3	4	5	6	7
पत्र व्यवहार का पता						
8						

शैक्षणिक योग्यता						
क्र.	उपाधि का नाम	अध्ययन का विषय	श्रेणी	उत्तीर्ण वर्ष	विश्वविद्यालय का नाम	अन्य उपलब्धियों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7

की गई शासकीय सेवा का विवरण						
क्र.	संस्था/कार्यालय का नाम	पद	सेवा की अवधि (कब से कब तक)	अनुभव (अवधि माहों में)	अनुभव का कार्यक्षेत्र	अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एवंPPO (Pension payment order) संलग्न करें
1	2	3	4	5	6	

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ....

अभ्यर्थी का नाम.................................

मैं...शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँकिआवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। उपरोक्त वर्णित जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा इस आधार पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही करने का मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डलको पूर्ण अधिकार होगा।

स्थानः- ....

दिनांकः- ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ....

अभ्यर्थी का नाम................................

संलग्न दस्तावेजः-

1. हाईस्कूल/हायरसैकेण्डरी उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची।
3. जाति प्रमाण-पत्र।
4. शासकीय सेवानिवृत्ति संबंधी दस्तावेज।
5. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र तथा PPO (Pension payment order) की प्रति।
6. अंतिम 10 वर्षो की गोपनीय चरित्रावली की सत्यापित प्रति।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधीक्षक शासकीय अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सार्टिफिकेट।